

वित्त विभाग के पत्रांक 627 दि० 12.02.2002 के आलोक में आवंटित राशि की निकासी
 के प्रधिकार पत्र (महालेखाकार द्वारा निर्गत) की आवश्यकता नहीं होगी।
 अनु०-बन्दोक्त।

विश्वासभाजन

Anvendra P. Singh
 20/02/09
 सरकार के सचिव

क्रमांक- 34 आ. भा.

रांची, दिनांक- 20.02.09

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची/सचिव, वित्त
 विभाग, झारखण्ड, रांची/संबंधित सभी आयुक्त को सूचनाएँ प्रेषित।

Anvendra P. Singh
 20/02/09
 सरकार के सचिव

क्रमांक- 34 आ. भा.

रांची, दिनांक- 20.02.09

प्रतिलिपि- संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनाएँ
 एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Anvendra P. Singh
 20/02/09
 सरकार के सचिव

क्रमांक- 34 आ. भा.

रांची, दिनांक 20.02.09

प्रतिलिपि: उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव(योजना), कृषि एवं जल विकास
 विभाग, झारखण्ड, रांची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/निदेशक समिति, झारखण्ड/निदेश, राज्य
 बाजसानी मिशन, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, झारखण्ड/उप निदेशक, उद्यान,
 पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी/योजना शाखा-3 कृषि एवं जल विकास विभाग, झारखण्ड
 रांची(10) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनाएँ प्रेषित।

Anvendra P. Singh
 20/02/09
 सरकार के सचिव

विशेष अंगीकृत उपयोजना अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) का जिलावार वित्तीय नगर विवरणी वर्ष 2008-09

(रुपि में नगर व)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (अ)	अनुसूचित जाति (ब)	अनुसूचित जाति (क)	अनुसूचित जाति (द)	कुल
1	उपग्राम गाँव	5.00	5.09	1.75	1.75	6.75	
2	उपग्राम, नौदरवा	2.50	2.50	0.50	0.50	3.00	
3	उपग्राम, गुरवा	2.20	2.20	0.35	0.35	2.55	
4	उपग्राम, फाँड़वा	3.40	3.40	0.70	0.70	4.10	
5	उपग्राम, नौदरवा	4.70	4.70	1.60	1.60	6.30	
6	उपग्राम, गाँव फाँड़वा	2.10	2.10	3.30	3.30	5.40	
7	उपग्राम, सारनाई	4.30	4.30	1.40	1.40	5.70	
8	उपग्राम, सारनाई	5.90	5.90	34.05	34.05	93.15	
9	उपग्राम, नारा	115.40	5.10	85.55	65.55	188.05	
10	उपग्राम, फाँड़वा	58.10	58.10	33.55	33.55	91.65	
11	उपग्राम, नौदरवा	5.30	5.30	1.90	1.90	7.20	
12	उपग्राम, नारा	8.30	8.30	3.10	3.15	11.45	
13	उपग्राम, नौदरवा	14.70	14.70	6.10	6.10	20.80	
14	उपग्राम, नारा	80.15	80.15	43.50	43.50	123.65	
15	उपग्राम, नारा	9.20	9.70	3.85	3.85	13.55	
16	उपग्राम, नौदरवा	32.10	32.10	16.55	14.55	48.65	
17	उपग्राम, नौदरवा	18.35	18.35	8.20	9.20	28.55	

34.36.41
20.02.09

11

18	उपायुक्त, संविधान	3.10	3.10	0.55	0.55	3.65
19	उपायुक्त, गीर्जा	34.30	34.30	15.65	15.65	49.95
20	उपायुक्त, जामताड़ा	13.40	13.40	5.45	5.45	18.85
21	उपायुक्त, देवार	67.90	67.90	37.70	37.70	105.60
22	उपायुक्त, भाकुड़	6.80	6.80	2.65	2.65	9.45
	कुल योग	557.40	563.00	287.00	287.00	850.00

~:5:~

34.31.19
20.08.09

Amarendra P. Singh
सरकार के अधिकारी

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

पत्रांक-3/कृषि राज्य योजना-40/2008 34 अ.पं. रांची, दिनांक 20.02.09

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
संस्कार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

विषय: राज्य योजनावर्गत "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" (सतप्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए की योजना हेतु रु 8.50 करोड़ (आठ करोड़ पचास लाख रुपये) का निधि आवंटन।

प्रसंग: विभागीय राज्यादेश सं0-63, दि0-19.02.09

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक राज्यादेश सं0-63, दि0-19.02.09 के आलोक में रु 8.50 करोड़ (आठ करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि से संबंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु संलग्न विवरणी में क्या वर्णित किसानों एवं स्वयंसेवक पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सामने अंकित निधि आवंटन की जाती है।

2. योजनावर्गत उपलब्ध कराये गये/स्वीकृत राशि रु 54.14 करोड़ में से रु 8.50 करोड़ (आठ करोड़ पचास लाख रुपये) की किसानों वजतशीर्ष मांग सं0-01 (राज्य योजना), समूहशीर्ष-अनुसूचित जातियों के विशेष अंगीभूत उपयोजना, मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना, उपशीर्ष-44-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृतशीर्ष-07-उत्पन्न खाद्य, 89-अन्न खाद्य, 01P240100789440758 से तथा विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52 सबसीडी (01P240100789440652) से की जायेगी।

3. योजनावर्गत रु 8.50 करोड़ (आठ करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र का निधि आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0(2)दि0 17.04.1998 एवं पत्रांक 322, दि0 28.01.02, पत्रांक-1800/वि0, दि0-15.07.03, पत्रांक-503/वि0, दि0-03.03.04 कोषागार संहिता के नियम 300 तथा समय समय पर निर्गत अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आपको आवंटित की जाती है।

4. आवंटित राशि का व्यव "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गए दिशा निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

5. योजनाओं का क्रियान्वयन "आत्मा" के सहयोग से यथासंभव विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से कराया जाएगा।

6. आवंटित राशि का व्यव वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम-475 में किये गये निर्देश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य

34 अ.पं.
20.02.09

4-